**भारत सरकार**
**श्रम और रोजगार मंत्रालय**
**राज्य सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या- 1044**
**गुरूवार, 10 फरवरी, 2022/21 माघ, 1943 (शक)**

**बेरोजगारों के लिए आजीविका सुनिश्चित करने हेतु उपाय**

**1044. श्री नीरज डांगीः**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा बेरोजगारों के लिए आजीविका सुनिश्चित करने और उनकी दशा में सुधार करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं**;**

(ख) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान बेरोजगारी की दर में वृद्धि हुई है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है**;** और

(ग) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क): नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। भारत सरकार ने व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करने और कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत, सरकार सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। इस पैकेज में देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के अंग के रूप में सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार का सृजन करने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हानि के प्रतिस्थापन हेतु 1 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही यह योजना नियोक्ताओं पर वित्तीय दबाव को कम करती है एवं उन्हें और अधिक कर्मचारियों को कार्य पर रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि को 30 जून, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दिया गया है। 29.01.2022 तक 1.26 लाख प्रतिष्ठानों के माध्यम से 46.89 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है।

सरकार द्वारा स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) कार्यान्वित की जा रही है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है। योजना के तहत 21.01.2022 तक 32.12 करोड़ ऋण संस्वीकृत किए गए।

सरकार ने 20 जून, 2020 को 125 दिनों का गरीब कल्याण रोजगार अभियान (जीकेआरए) शुरू किया था ताकि बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 6 राज्यों के 116 चयनित जिलों में वापस लौटने वाले प्रवासी कामगारों तथा इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं सहित प्रभावित व्यक्तियों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा दिया जा सके। इस अभियान ने 39,293 करोड़ रुपये के कुल व्यय के साथ 50.78 करोड़ मानव दिवस का रोजगार सृजन प्राप्त किया है।

पीएम गतिशक्ति आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है। यह दृष्टिकोण सात इंजनों, सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन, जलमार्ग और रसद बुनियादी ढांचे द्वारा संचालित है। यह दृष्टिकोण स्वच्छ ऊर्जा और सबका प्रयास द्वारा संचालित है जिससे सभी के लिए नौकरी और उद्यमशीलता के विशाल अवसर पैदा होते हैं।

सरकार ने राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन पर निरंतर ध्यान देने के मद्देनजर रेलवे, सड़क, शहरी परिवहन, बिजली, दूरसंचार, कपड़ा और किफायती आवास पर जोर दिया है। बजट 2021-22 के द्वारा 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2021-22 से शुरू होकर 5 साल की अवधि के लिए उत्पादन-संबंद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं शुरू की गई है। इन सभी पहलों से सामूहिक रूप से रोजगार के सृजन होने तथा मध्यम से लंबी अवधि में बड़े परिणामों के माध्यम से उत्पादन को बढ़ावा देने की आशा है।

भारत सरकार पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है जिसमें रोजगार सृजन हेतु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), ग्रामीण विकास मंत्रालय की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) एवं पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय की दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) आदि जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय करना शामिल है।

इन पहलों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन, सभी के लिए आवास, अवसंरचना विकास तथा औद्योगिक गलियारों जैसे सरकार के विभिन्न फ्लैगशिप कार्यक्रम भी रोजगार के अवसर सृजित करने के प्रति उन्मुख हैं।

(ख) एवं (ग): रोजगार एवं बेरोजगारी पर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) 2017 से आयोजित किए जाते हैं। वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 की वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की अनुमानित बेरोजगारी दर का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुबंध पर दिया गया है।

**अनुबंध**

राज्य सभा के दिनांक 10.02.2022 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1044 के भाग (ख) एवं (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) के अनुसार बेरोज़गारी दर (यूआर) आयु वर्ग के लिए: 15 वर्ष और उससे अधिक

(प्रतिशत में)

| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2017-18 | | 2018-19 | | 2019-20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ग्रामीण | शहरी | ग्रामीण | शहरी | ग्रामीण | शहरी |
| आंध्र प्रदेश | 3.6 | 6.6 | 4.5 | 7.3 | 3.9 | 6.8 |
| अरुणाचल प्रदेश | 5.2 | 9.6 | 7.1 | 11.0 | 6.3 | 9.0 |
| असम | 8.1 | 6.3 | 6.3 | 10.7 | 7.8 | 8.7 |
| बिहार | 6.8 | 9.0 | 9.8 | 10.4 | 4.7 | 8.6 |
| छत्तीसगढ | 2.5 | 7.5 | 1.8 | 5.4 | 2.3 | 8.8 |
| दिल्ली | 3.5 | 9.5 | 0.5 | 10.8 | 2.0 | 8.8 |
| गोवा | 13.9 | 13.8 | 8.0 | 9.1 | 7.6 | 8.4 |
| गुजरात | 5.2 | 4.2 | 3.2 | 3.2 | 1.4 | 3.0 |
| हरियाणा | 9.2 | 6.9 | 9.6 | 8.7 | 6.3 | 6.5 |
| हिमाचल प्रदेश | 5.2 | 8.7 | 4.8 | 8.8 | 3.4 | 5.9 |
| झारखंड | 6.8 | 10.4 | 4.3 | 8.7 | 3.1 | 9.7 |
| कर्नाटक | 3.9 | 6.5 | 2.7 | 5.1 | 2.7 | 6.9 |
| केरल | 10.0 | 13.2 | 8.4 | 9.7 | 9.7 | 10.4 |
| मध्य प्रदेश | 3.4 | 7.6 | 2.3 | 7.3 | 1.7 | 6.9 |
| महाराष्ट्र | 3.2 | 7.4 | 4.2 | 6.3 | 2.4 | 4.4 |
| मणिपुर | 11.5 | 11.4 | 9.5 | 9.1 | 9.2 | 10.2 |
| मेघालय | 0.6 | 6.7 | 2.0 | 7.5 | 1.1 | 10.9 |
| मिजोरम | 6.5 | 14.3 | 5.2 | 9.1 | 4.2 | 7.7 |
| नागालैंड | 21.6 | 21.1 | 16.2 | 20.8 | 25.8 | 25.7 |
| ओड़िशा | 6.9 | 8.4 | 6.0 | 12.7 | 6.0 | 7.7 |
| पंजाब | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.0 | 7.1 | 7.5 |
| राजस्थान | 4.4 | 7.2 | 4.6 | 9.5 | 3.2 | 9.0 |
| सिक्किम | 2.7 | 5.8 | 2.5 | 4.9 | 2.0 | 2.9 |
| तमिलनाडु | 7.9 | 6.9 | 6.4 | 6.7 | 5.0 | 5.8 |
| तेलंगाना | 6.5 | 9.4 | 6.6 | 11.0 | 5.2 | 10.2 |
| त्रिपुरा | 6.3 | 8.7 | 9.3 | 13.2 | 2.8 | 4.6 |
| उत्तराखंड | 6.9 | 9.5 | 7.1 | 13.4 | 6.5 | 9.1 |
| उत्तर प्रदेश | 5.4 | 9.5 | 4.3 | 10.3 | 3.1 | 8.8 |
| पश्चिम बंगाल | 3.8 | 6.4 | 3.3 | 4.9 | 4.4 | 5.1 |
| अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 14.7 | 17.4 | 14.6 | 12.0 | 12.8 | 12.4 |
| चंडीगढ़ | 3.5 | 9.2 | 1.6 | 7.6 | 9.9 | 6.1 |
| दादरा और नगर हवेली | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 1.8 | 1.0 | 5.0 |
| दमन और दीव | 6.2 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 2.8 |
| जम्मू और कश्मीर | 4.3 | 9.9 | 4.0 | 10.1 | 5.2 | 13.0 |
| लद्दाख | | | | | 0.0 | 1.0 |
| लक्षद्वीप | 13.3 | 25.3 | 40.0 | 28.6 | 10.7 | 14.7 |
| पुदुचेरी | 10.4 | 10.3 | 11.6 | 6.0 | 7.6 | 7.6 |
| अखिल भारत | 5.3 | 7.7 | 5.0 | 7.6 | 3.9 | 6.9 |

स्रोत: वार्षिक रिपोर्ट पीएलएफएस**,** 2017-18, 2018-19 और 2019-20; सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय